न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश गोयल, आर.ए.एस.

रिव्यु प्रार्थना पत्र संख्या : 298/2018
जी.सी.एम.एस नम्बर :– 2018/00462

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री चारभुजा मंदिर होम्बड़ समाज चांचौड़ी वगैरह		समस्त सीरवी समाज आईमाता जी चांचौड़ी वगैरह

रिव्यु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994

उपस्थित :–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल सोनी
अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोडा

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27.2.24

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत पेश कर न्यायालय के प्रकरण संख्या 15/2013 श्री चारभुजा मंदिर होम्बड़ समाज चांचौड़ी वगैरह बनाम समस्त सीरवी समाज आईमाता जी चांचौड़ी वगैरह मे पारित निर्णय दिनांक 17.02.2014 के विरूद्ध पेश किया है। रिव्यु प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। मुल निगरानी तलब की जाकर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रिव्यु प्रार्थना पत्र के सबध में मूल निगरानी ग्राम पंचायत चांचौडी के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.10.2009 और उसकी पालना में अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 15.11.2010 के विरूद्ध पेश की गई थी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। दिनांक 17.02.2014 को पीठासीन अधिकारी ने दौराने बहस लोक अदालत की भावना एंव आपसी समझाईश से निस्तारण किये जाने कि मंशा से उपखण्ड अधिकारी रानी को कमिश्नर नियुक्त कर जैर निगरानी पट्टे की भुमि का दोनो पक्षो की उपस्थिति में निरीक्षण कर सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए निस्तारण के निर्देश दिये गये। जैर निगरानी प्रकरण दो समाज के बीच का होने के दोनो पक्षो में आपसी समझौता के आधार पर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिये गये। उक्त निगरानी प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय पारित किये लगभग एक वर्ष से ज्यादा समय हो गया है लेकिन उपखण्ड अधिकारी रानी द्वारा न तो मौका देखा गया, न ही दोनो पक्षो को समझाईश एवं निस्तारण हेतु बुलाया गया। राज पंचायती राज नियमों मे उपखण्ड अधिकारी पंचायत निगरानी प्रकरण में सुनवाई की कोई अधिकारिता नही रखता है। ऐसे में मूल निगरानी पत्रावली पुनः तलब कर मैरिट पर निर्णय पारित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत होगा। उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार करावे। अपने कथनो के समर्थन में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने न्यायिक सिद्धान्त 2022 0 आईसीएलएफ(राज) 191 मंजुर अली बनाम राज.राज्य की प्रति पेश की।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने वक्त बहस किया कि प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जो कथन प्रकट किये गये है, वो प्रकरण की पुनः सुनवाई हेतु नये तथ्यों को प्रकट किया गया है, जो कानूनन मान्य नही है। रिव्यू के तहत मात्र निर्णय में दिखती हुई तकनीकि त्रुटि को ही सही किया जा सकता है, कानूनी बिन्दु एवं तथ्यों को पुनः अवलोकन करने एवं दस्तावेजी तथ्यों/साक्ष्यों को पुनः देखे जाने व सुने जाने हेतु कथन किया गया है, जिसकी

अति. जिला कलक्टर, पाली

रिव्यू याचिका में कानूनन अनुमति अनुज्ञेय नही है। रिव्यू याचिका में लिमिटेशन के बिन्दु एवं उस पर प्रस्तुत नजीरों का पुनरावलोकन हेतु निवेदन किया है। इस हेतु न्यायालय को बाध्य नही किया जा सकता है। रिव्यू की आड़ में प्रकरण को नये सिरे से नही देखा जा सकता है। रिव्यू का क्षैत्राधिकार बहुत ही सीमित है। किसी भी आदेश/निर्णय को तभी रिव्यू किया जा सकता है, जब किसी आदेश या निर्णय में प्रथम दृष्टया प्रत्यक्ष त्रुटि नजर आती हो, किन्तु माननीय न्यायालय के निर्णय/आदेश में ऐसी कोई प्रत्यक्ष त्रुटि या गलती नही है। मूल निगरानी प्रकरण दो समाज के बीच आपसी वैमनस्य की भावना से पट्टे की भुमि का विवाद है न की ग्राम पंचायत चांचौडी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 15.11.2010 को जारी प्रक्रिया के सम्बधित हैं। उपखण्ड अधिकारी रानी को दोनो पक्षो को सुनवायी का पर्याप्त अवसर देते हुए निस्तारण करने के निर्देश दिये जाकर दिनांक 17.02.2014 को निर्णय पारित किया जा चुका है। उसके पश्चात पुनः किसी ठोस आधार के पुनः मुल निगरानी में न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नही रह जाता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र को मुख्यतः इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि मूल निगरानी में पारित निर्णय की पालना में उपखण्ड अधिकारी रानी द्वारा न मौका स्थिति देखी एवं न ही दोनो पक्षो को सुना। मूल निगरानी प्रकरण दो समाज के बीच का है जिसे आपसी सामाजस्य एवं लोक अदालत की भावना की मंशा रखते हुए उपखण्ड अधिकारी को पत्रावली भिजवाई थी, लेकिन न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का कोई निस्तारण नही हुआ। इस कारण जैर पुनर्विलोकन आदेश को पुनर्विलोकित कराने का अनुतोष चाहा है। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपनी बहस के समर्थन में प्रस्तुत न्याय सिद्धान्त निःसंदेह सम्माननीय है, किन्तु यह मूल प्रकरण के तथ्यों पर चस्पा होने की स्थिति में Helpful हो सकता है, किन्तु रिव्यू के Scope पर यह न्याय सिद्धान्त प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नही होता है। विद्धान अभिभाषक के इस कथन से हम पूर्णतः सहमत है कि निगरानी का स्कोप सीमित है। मूल निगरानी प्रकरण में निर्णय पारित करते समय पीठासीन अधिकारी ने परिस्थितियों को देखते हुए माईण्ड एप्लाई करते हुए निर्णय पारित किया था, जिसके तहत प्रकरण का नये सिरे से निर्णय नही किया जा सकता है। प्रकरण का समग्र अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी अपने रिव्यू प्रार्थना पत्र के जरिये इस तथ्य को प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहे है कि जैर पुनर्विलोकनाधीन आदेश में किस तथ्य अथवा विधि की भूल हुई हो अथवा किस तात्विक बात की अज्ञानतावश आदेश पारित किया गया हो। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के Mandatory Provision को पूर्ण नही करने के कारण स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27/2/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली